[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **1001:2023** आईएनएससी **600**

ए.

हरि प्रकाश शुक्ला और ओ. आर. एस. बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (दीवानी अपील सं.9697-9698 2014 का) 05 जुलाई, 2023

बी.

[कृष्णा मुरारी और

अहसनूद्दीन अमानुल्लाह**,** जे**.** जे**.]**

वन अधिनियम, 1927:धारा 4-आरक्षित वन-वन निवासियों की घोषणा-वन अधिकारी द्वारा सुनवाई का अधिकार-तथ्यों पर, अपीलार्थीगण-भूमिदारों के कब्जे वाली भूमि, जिसे आरक्षित वन घोषित किया गया है-अपीलार्थीगण के खिलाफ बेदखली अभियान की शुरुआत-वन निपटान अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता का उक्त भूमि पर सही दावा था-वन विभाग द्वारा रिट याचिका-जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और अपीलार्थीगण को बेदखल करने का निर्देश दिया-उनके खिलाफ समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:वन अधिकारी द्वारा किए गए दावों पर वन निवासियों की सुनवाई का अधिकार केवल कुछ वन समुदायों तक ही सीमित नहीं है-सुनवाई का अधिकार, विषय भूमि के कब्जे का दावा करने वाले सभी लोगों को दिया जाना चाहिए, और अधिकार का पर्याप्त अधिकार उक्त सुनवाई के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया या अस्वीकार किया जा सकता है-यू/एस द्वारा अधिसूचित किसी भी भूमि के कब्जे का आनंद लेने का अधिकार।4 यह न केवल आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासी समुदायों तक ही सीमित है, बल्कि निवास के प्रमाण, मूल कब्जे की तारीख आदि पर भी आधारित है-उक्त भूमि में रहने का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही सीमित नहीं है-अपीलार्थीगण पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और न ही वे ऐसा होने का दावा करते हैं, इसलिए उन्हें वन अधिकारी द्वारा सुने जाने का अधिकार है-इसके अलावा, निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों ने न तो विकृत किया है, न ही उक्त अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया है-उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए साक्ष्य की पुनः सराहना। अनुच्छेद 226, कानून में खराब है और यह निरस्त होने योग्य है-इस प्रकार, विवादित आदेश और निर्णय को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है-भारत का संविधान, 1950

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपीलों को अनुमति देना और अवमानना याचिकाओं को खारिज करना, न्यायालय

पकड़ना:**1.1** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन समुदायों में केवल मान्यता प्राप्त आदिवासी और अन्य समुदाय के लोग शामिल नहीं हैं

एच.

1001 ए.

पिछड़े समुदाय, लेकिन उक्त भूमि में रहने वाले अन्य समूह भी।ये अन्य समूह, जिन्हें कई सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारणों से वनवासी समुदाय के रूप में कानून के तहत मान्यता नहीं मिलती है, वे भी उक्त वन समुदायों का एक अभिन्न अंग हैं और उनके कामकाज के लिए आवश्यक हैं।इसके अलावा, पूर्वजों के वनवासी होने के कई उदाहरण भी हो सकते हैं, हालांकि, दस्तावेजों की कमी के कारण, वे इसे साबित करने में सक्षम नहीं हैं। **[**पैरा **20] [1006-**जी**; 1007-**ए**]**

बी.

1.2 अपीलार्थीगण पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और न ही वे ऐसा होने का दावा करते हैं, हालाँकि, बनवासी न्याय, यदि केवल कुछ मान्यता प्राप्त वन समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए संकीर्ण तरीके से व्याख्या की जाती है, तो कई अन्य समुदायों को बहुत नुकसान होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बनवासी निर्णय केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है, और यदि ऐसा प्राधिकरण किसी दावे को अस्वीकार करता है, तो उक्त दावा स्थित भूमि के खिलाफ मौजूद नहीं हो सकता है।**[**पैरा **21] [1007-**बी**-**सी**]**

सी.

डी.

1.3 सुनवाई का यह अधिकार, विषय भूमि के कब्जे का दावा करने वाले सभी लोगों को दिया जाना चाहिए, और अधिकार का पर्याप्त अधिकार उक्त सुनवाई के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया या अस्वीकार किया जा सकता है, अर्थात, सुनवाई का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए, और अधिकार का अधिकार उन लोगों को प्राप्त होना चाहिए जिनके

पास वैध दावा है।इसके अलावा, वन अधिनियम की धारा **4** के तहत अधिसूचित किसी भी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार न केवल आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासी समुदायों तक सीमित है, बल्कि निवास के प्रमाण, मूल कब्जे की तारीख आदि पर भी आधारित है। यदि उक्त भूमि में रहने का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही सीमित नहीं है, तो ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार उसी तक कैसे सीमित हो सकता है।**[**पारस **22** और **23] [1007-**सी-ई**]**

ई.

एफ.

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा लिखित अधिकारिता में पारित विवादित आदेश के समक्ष अपीलार्थीगण के पक्ष में निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से दो समवर्ती निष्कर्ष थे।अपीलार्थीगण ने प्रमुख साक्ष्य द्वारा विषय भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया था, और उचित प्रक्रिया के माध्यम से, दोनों निचली अदालतों द्वारा इसकी सत्यता का परीक्षण किया गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के नेतृत्व में सबूत के बिना समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया।**[**पैरा **25] [1007-G-H] A**

जी.

एच.

1003

हरि प्रकाश शुक्ला और ओ. आर. एस. बनामउत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

1.5 निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष न तो विकृत हैं और न ही उक्त अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है।ऐसे परिदृश्य में, जिसमें कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र में साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता था और एक अलग निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था।**[**पैरा **29] [1008-**ई**]**

बी.

1.6 बनवासी सेवा निर्णय के तहत दिया गया उपाय अपीलार्थीगण के लिए उपलब्ध है, और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद **226** के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कानून की दृष्टि से गलत है और इसे निरस्त किया जा सकता है।**[**पैरा **32] [1009-**बी**]**

सी.

1.7 चूंकि विवाद को अपीलार्थीगण के पक्ष में ठहराया गया है, इसलिए अवमानना याचिकाओं को निष्फल बना दिया जाता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश और

निर्णय कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है।वन निपटान अधिकारी और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।**[**पारस **33** और **34] [1009-**सी**-**डी**]**

डी.

बनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1986)**

4 एससीसी **753:[1987] 1** एस**.** सी**.** आर**. 336-**समझाया।

बीके मुनिराजू बनाम कर्नाटक राज्य **(2008) 4** एससीसी **451:[2008] 2** एस**.** सी**.** आर**. 992;** कृष्णानंद बनाम के निदेशक

ई.

समेकन (2015) 1 एससीसी 553:[2014] 11 एस. सी. आर. 1001-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1987] 1 एससीआर **336**

समझाया।

पैरा **17,18,21,32**

एफ.

[2008] 2 एससीआर **992**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[2014] 11 पैरा **28** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 1001**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2014 की सिविल अपील संख्या 9697-9698।

जी.

2006 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 28242 में दिनांकित 04.02.2013 और 2006 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 28242 में दिनांकित <आई. डी. 2 से, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 2013 के सी. एम. आर. ए. सं. 41732 से।के साथ

2021 की अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 209-210।

एच.

ए.

अनिल कौशिक, श्रीमती शशि शर्मा, अभिषेक मिश्रा, रजत राणा, सुश्री अंजू कौशिक, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, कमलेंद्र मिश्रा, प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

कृष्णा मुरारी, जे।

1. वर्तमान अपील इलाहाबाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश और दिनांक (आई. डी. 1) के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसके तहत, प्रत्यर्थीगणओं द्वारा यहां प्रस्तुत रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

सी.

तथ्य

2. सुविधा के लिए वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख यहां किया जा रहा है।3. यहाँ अपीलार्थीगण विषय भूमि के भूमिदार हैं और उसी के कब्जे में हैं।अपीलार्थीगण के अनुसार, वर्ष 1952 में तत्कालीन जमींदार द्वारा उनके पक्ष में एक स्थायी पट्टा निष्पादित किए जाने के बाद से उक्त भूमि का उपयोग उनके द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। 4.यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थीगण के कब्जे वाली भूमि सहित विषय भूमि के हिस्से को आरक्षित वन घोषित किया गया था, और उक्त भूमि का दूसरा हिस्सा आरक्षित वन के रूप में घोषित करने के लिए वन अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना के अधीन था।

डी.

ई.

5. उक्त भूमि की इस तरह की घोषणा ने स्थानीय निवासियों को बेदखल करने का अभियान शुरू किया, और इसके खिलाफ, बनवासी सेवा आश्रम से प्राप्त एक पत्र के आधार पर, स्थानीय निवासियों के दावे के संबंध में इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई।

एफ.

6. इस न्यायालय ने, उपर्युक्त रिट याचिका में दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, उक्त विवादित भूमि पर व्यक्तियों के दावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दो अधिकारियों वाली एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के गठन का निर्देश दिया, और बाद में, वन निपटान अधिकारी द्वारा दावों की सुनवाई करने का निर्देश दिया।

जी.

7. उपर्युक्त निर्णय के आधार पर, अपीलार्थीगण ने वन निपटान अधिकारी के समक्ष अपने दावे दायर किए, और दोनों पक्षों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर उचित विचार करने के बाद, वन निपटान अधिकारी ने माना कि उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया है।

एच.

1005

हरि प्रकाश शुक्ला और ओ. आर. एस. बनामउत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

1385 फसली से पहले भी अपीलार्थीगण का और इस प्रकार, उक्त भूमि पर उनका अधिकारपूर्ण दावा है।

8. उपर्युक्त आदेश से व्यथित होकर, यहाँ प्रत्यर्थीगणओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की, हालाँकि, दिनांक 04.04.1991 के एक सुविचारित आदेश के माध्यम से, उसे खारिज कर दिया गया।9. अपील खारिज होने के बाद, अपीलार्थीगण ने उपरोक्त आदेश को लागू करने के लिए एक आवेदन दायर किया, और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन की अनुमति दी और अपीलार्थीगण को भूमिदारों के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।

बी.

सी.

10. प्रत्यर्थी वन विभाग ने तब दिनांकित 04.04.1991 आदेश के खिलाफ एक समीक्षा दायर की, हालांकि, यह देखते हुए कि समीक्षा की प्रकृति एक अपील की प्रकृति में अधिक थी, उसी आदेश को खारिज कर दिया।

11. उक्त बर्खास्तगी के बावजूद, वन विभाग ने समीक्षा के उपर्युक्त आदेश के खिलाफ वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया, हालांकि, वापस बुलाने के लिए उक्त आवेदन को दिनांक 08.12.2005 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।

डी.

12. उक्त आदेशों से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी वन विभाग ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, और विवादित निर्णय और दिनांक 04.02.2013 के आदेश के माध्यम से, इसकी अनुमति दी गई, और अपीलार्थीगण को बेदखल करने का निर्देश दिया गया।

ई.

13. उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलार्थीगण ने समीक्षा याचिका दायर की जिसे 08.02.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, अपीलार्थीगण की बेदखली पर 20.03.2013 तक रोक लगा दी गई थी ताकि वे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम हो सकें।

एफ.

14. उच्च न्यायालय के उपर्युक्त विवादित आदेश के विपरीत, अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

विश्लेषण

अधिवक्ता1 अधिवक्ता5 अधिवक्ता.अधिवक्ता
अधिवक्ताहअधिवक्तामअधिवक्तानअधिवक्तोअधिवक्ता अपीलार्थीगणअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्तालअधिवक्तिाअधिवक्ताएअधिवक्ता
अधिवक्ताशअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्तीअधिवक्ता
अधिवक्ताअअधिवक्तानअधिवक्तिाअधिवक्तालअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तौअधिवक्ताशअधिवक्तिाअधिवक्ताकअधिवक्ता
अधिवक्ताऔअधिवक्तारअधिवक्ता प्रत्यर्थीगणअधिवक्ताओअधिवक्तांअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्तालअधिवक्तिाअधिवक्ताएअधिवक्ता
अधिवक्ताशअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्तीअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तामअधिवक्तालअधिवक्तोअधिवक्तांअधिवक्तादअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिव
क्ता अधिवक्तामअधिवक्तिाअधिवक्ताशअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्ताीअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तीअधिवक्ता
अधिवक्तासअधिवक्ताहअधिवक्ताीअधिवक्तायअधिवक्तातअधिवक्ताीअधिवक्ता
अधिवक्तासअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्ताशअधिवक्ता्अधिवक्तारअधिवक्तीअधिवक्ता
अधिवक्ताS अधिवक्ता.अधिवक्ताR अधिवक्ता.अधिवक्ताS अधिवक्ताi अधिवक्ताn अधिवक्ताg अ
धिवक्ताh अधिवक्ता,अधिवक्ता
अधिवक्तालअधिवक्तारअधिवक्ता्अधिवक्तानअधिवक्ताडअधिवक्ता
अधिवक्तासअधिवक्तीअधिवक्तानअधिवक्तिाअधिवक्तायअधिवक्तारअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्ताीअधिवक्ताउअधिवक्तांअधिवक्तासअधिवक्तालअधिवक्ता
अधिवक्ताकअधिवक्तोअधिवक्ता अधिवक्तासअधिवक्तुअधिवक्तानअधिवक्ताीअधिवक्ता
अधिवक्ताहअधिवक्तौअधिवक्ता।अधिवक्ता

जी.

16. प्रारंभ में, वर्तमान अपीलों के निर्णय के लिए, यह हमारी सुविचारित राय है कि निम्नलिखित दो मुद्दे हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं।

एच.

I. क्या बनवासी के निर्णय में दी गई राहत

सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **1** केवल लागू है

एससी/एसटी/अन्य पिछड़े समुदायों के लिए?

II. क्या उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने निष्कर्षों पर आने के लिए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की फिर से सराहना कर सकता था?

बी.

मुद्दा I-क्या बनवासी के निर्णय में दी गई राहत

सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 केवल एससी/एसटी/के लिए लागू है।

अन्य पिछड़े समुदाय?

सी.

17. बनवासी सेवा आश्रम (सुप्रा) के मामले में, जिसमें

इस भूमि में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदायों को वन अधिनियम के तहत धारा 4 की अधिसूचना के अधीन होने के आधार पर उनके घरों से बेदखल किया जा रहा था, इस न्यायालय ने माना कि उक्त निवासियों को वन अधिकारी द्वारा उनके दावों की सुनवाई करने का अधिकार था, और यह वन अधिकारी था, जिसके पास मामले के गुण-दोष में जाने और निवासियों के दावों पर निर्णय लेने की शक्ति थी।

डी.

18. उपर्युक्त बनवासी सेवा निर्णय (सुप्रा),

जब विस्तार से पढ़ा जाता है, तो यह पता चलता है कि यह विषय भूमि के निवासियों को केवल उचित प्राधिकरण द्वारा सुने जाने का एक प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान करता है, न कि भूमि के कब्जे/निवास का एक ठोस अधिकार।सरल शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि यह न्यायालय, उक्त निर्णय देते समय, प्रत्येक दावे के गुण-दोष में नहीं गया, बल्कि दावों की सुनवाई के लिए केवल एक उपयुक्त मंच प्रदान किया।

ई.

19. इस तरह के फैसले का उद्देश्य, हमारी राय में, ठोस न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि अधिसूचित भूमि पर वैध दावे वाले प्रत्येक पक्ष को विस्तार से सुना जाए, और स्थानीय निवासियों को बेदखल करने की कोई मनमानी शक्ति राज्य को नहीं दी जाए।

एफ.

20. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वन समुदायों में न केवल मान्यता प्राप्त आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों के लोग शामिल हैं, बल्कि उक्त भूमि में रहने वाले अन्य समूह भी शामिल हैं।ये अन्य समूह, जिन्हें कई सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक कारणों से वनवासी समुदाय के रूप में कानून के तहत मान्यता नहीं मिलती है, वे भी उक्त वन समुदायों का एक अभिन्न अंग हैं और उनके कामकाज के लिए आवश्यक हैं।इसके अलावा,

जी.

1 1986 4 एससीसी 753 2 1986 4 एससीसी 753 ए

एच.

ऐसे कई उदाहरण भी हो सकते हैं कि लोग पूर्वजों से वनवासी हैं, हालाँकि, दस्तावेजों की कमी के कारण, वे इसे साबित करने में सक्षम नहीं हैं।

21. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इसमें अपीलार्थीगण पिछड़े समुदाय से नहीं हैं और न ही वे ऐसा होने का दावा करते हैं,

उपर्युक्त बनवासी निर्णय (सुप्रा), यदि एक में व्याख्या की जाती है

केवल कुछ मान्यता प्राप्त वन समुदायों को लाभान्वित करने के लिए संकीर्ण तरीके से, कई अन्य समुदायों को बहुत नुकसान होगा।दोहराव के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बनवासी निर्णय (सुप्रा), केवल एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है, और यदि ऐसा प्राधिकरण किसी दावे को अस्वीकार करता है, तो उक्त दावा स्थिति भूमि के खिलाफ मौजूद नहीं हो सकता है।

सी.

22. सुनवाई का यह अधिकार, हमारी राय में, विषय भूमि के कब्जे का दावा करने वाले सभी लोगों को दिया जाना चाहिए, और कब्जे का पर्याप्त अधिकार उक्त सुनवाई के दौरान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया या अस्वीकार किया जा सकता है, अर्थात, सुनवाई का अधिकार सभी को प्राप्त होना चाहिए, और अधिकार का अधिकार उन लोगों को प्राप्त होना चाहिए जिनके पास वैध दावा है।

डी.

23. इसके अलावा, वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचित किसी भी भूमि पर कब्जा करने का अधिकार न केवल आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासी समुदायों तक सीमित है, बल्कि निवास के प्रमाण, मूल कब्जे की तारीख आदि पर भी आधारित है। यदि उक्त भूमि में रहने का अधिकार केवल कुछ समुदायों तक ही सीमित नहीं है, तो ऐसे दावों पर सुनवाई का अधिकार उसी तक कैसे सीमित हो सकता है।

ई.

24. इसलिए, उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, हम अंक सं। मैं अपीलार्थीगण के पक्ष में हूँ।

एफ.

आई. एस. यू. ई.-II क्या उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपने निष्कर्षों पर आने के लिए साक्ष्य की फिर से सराहना कर सकता था?

25. उच्च न्यायालय द्वारा लिखित अधिकारिता में पारित किए गए विवादित आदेश से पहले, अपीलार्थीगण के पास निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से उनके पक्ष में दो समवर्ती निष्कर्ष थे।अपीलार्थीगण ने प्रमुख साक्ष्य द्वारा विषय भूमि पर अपना अधिकार साबित कर दिया था, और उचित प्रक्रिया के माध्यम से, दोनों निचली अदालतों द्वारा इसकी सत्यता का परीक्षण किया गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के नेतृत्व में सबूत के बिना, विवादित आदेश और दिनांक 04.02.2013 के फैसले के माध्यम से समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया।

जी.

26. इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय, भारत के संविधान की धारा 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य और तथ्यों के निष्कर्षों के आगमन की फिर से सराहना नहीं कर सकता है, जब तक कि मूल आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण ने अपनी अधिकारिता से अधिक ऐसा नहीं किया, या यदि निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत थे।

बी.

27. बी**.** के**.** मुनिराजू बनाम कर्नाटक राज्य **3** के मामले में**,** यह

न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका उपयोग साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निचली अदालत द्वारा मूल्यांकन किए गए तथ्य की त्रुटि प्रकट न हो और इस तरह की त्रुटि गंभीर अन्याय का कारण न बनी हो।

सी.

28. इसके अलावा, कृष्णानंद बनाम निदेशक के मामले में

समेकन 4, इस न्यायालय ने एक ऐसी ही तथ्य परिस्थिति में, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज कर दिया था, यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 226 के तहत साक्ष्य की पुनः प्रशंसा केवल उन मामलों में की जा सकती है जहां निचली अदालत द्वारा मूल आदेश उसकी अधिकारिता से अधिक पारित किया गया था या यदि निचली अदालतों के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत थे।

डी.

29. यह हमारी राय है कि जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष न तो विकृत हैं, न ही उक्त अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। ऐसे परिदृश्य में, जिसमें कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई थी, उच्च न्यायालय रिट अधिकार क्षेत्र में साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकता था और एक अलग निष्कर्ष पर नहीं आ सकता था।

ई.

30. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परीक्षण चरण में साक्ष्य का परिचय और प्रवेश एक कठोर प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का प्रत्येक टुकड़ा बहुत सख्त जांच के अधीन है, और प्रत्येक पक्ष को कानून द्वारा साबित प्रक्रिया के माध्यम से उक्त साक्ष्य की सत्यता का परीक्षण करने का अवसर दिया जाता है।हर स्तर पर साक्ष्य की वैधता पर सवाल उठाया जाता है और विरोधी पक्ष को अदालत में अपने संदेह रखते हुए उक्त साक्ष्य पर सवाल उठाने का अधिकार दिया जाता है।साक्ष्य के माध्यम से जाने का कानूनी तंत्र, रिट अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है, और इसलिए, साक्ष्य जिसकी निचली अदालतों द्वारा पुष्टि की गई है, केवल दुर्लभतम मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा उलट दिया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

3 2008 4 एससीसी 451 4 2015 1 एससीसी 553 ए

एच.

1009

हरि प्रकाश शुक्ला और ओ. आर. एस. बनामउत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [कृष्णा मुरारी, जे।]

31. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, हम अंक सं। II यहाँ अपीलार्थीगण के पक्ष में।

32. वर्तमान मामले में, हमारे द्वारा तैयार किए गए दोनों मुद्दों का जवाब यहां अपीलार्थीगण के पक्ष में दिया गया है, अर्थात,

बनवासी सेवा निर्णय (ऊपर) के तहत दिया गया उपाय उपलब्ध है।

बी.

यहाँ अपीलार्थीगण के लिए, और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन, हमारी राय में, कानून की दृष्टि से गलत है और इसे निरस्त किया जा सकता है।

33. इसके अलावा, अपीलार्थीगण के कहने पर दायर अवमानना याचिकाओं को भी हमारे संज्ञान में लाया गया है।हालाँकि, चूंकि विचाराधीन विवाद अपीलार्थीगण के पक्ष में रखा गया है, इसलिए अवमानना याचिकाओं को निष्फल बना दिया जाता है।

सी.

34. इस तरह की टिप्पणियों के आलोक में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.02.2013 का विवादित आदेश और निर्णय कायम रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसलिए इसे दरकिनार कर दिया जाता है।वन निपटान अधिकारी और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है।तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है और शीर्षक वाली अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

डी.

35. तथ्यों और परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

ई.

निधि जैन

अपीलों को अनुमति दी गई और अवमानना याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.